

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
- (i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र उत्तराखण्ड
- (ii) जिला अजमेर
- (iii) जिला वन प्रभाग सिविल लोफत वन प्रभाग अजमेर
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र भारतगिरा-गुप्ता-कपिलो
17. पूर्वेक्षण के लिए महावनी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: सिविल-2.2.15, वनक्षेत्र-0.13.5
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा: नहीं
- (i) वन का प्रकार उप-कैरिक
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 0.4
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना नहीं है
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा नहीं है
19. पूर्वेक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण शुद्धांग के समान
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 500मी.
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: नहीं है
- (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा: महत्वपूर्ण वन्यजीव विभाग
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग नहीं का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए) नहीं
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरों में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे नहीं
22. क्या क्षेत्र में कोई 'संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल' या 'प्रतिस्मृतिक स्थान' या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुपस्थिति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्योरा दें) नहीं
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें:
- (i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है अपरिहार्य एवं उत्तम वन भूमि है
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ

24. किए गए अतिक्रमण के ब्योरे:

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अखंड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है हाँ/नहीं
- (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्लित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के हस्ताक्षर की गई कार्यवाही नहीं
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है हाँ/नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्योरे:

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। कोई नहीं-2.430
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें। संलग्न है
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में हाल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। संलग्न है
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्योरे संलग्न हैं हाँ/नहीं
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिष्य: ₹ 30,69,500/-
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ/नहीं
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है हाँ/नहीं

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान: अजमेर

तारीख: 17-3-2015

हस्ताक्षर: अजमेर वन संरक्षक

हस्ताक्षर: अजमेर वन संरक्षक